

रीख हुक्म

बसु vs तुलसी
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
मे जारी हुए

मु. नं. 17/2017 धारा - 183, 188
AT Act

22-5-18
पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का
राजस्व लोक अदालत क्रम क्रि. नं. 8-6-18 में पत्रावली का उपस्थित
होने हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली
क्रि. नं. 8-6-18 का क्रम स्थल पर
पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

प्रतिवादी
पत्रावली

प्रतिवादी

8-6-18
पत्रावली राजस्व लोक अदालत
शिबिर कान बड़ी पर प्रस्तुत हुई।
पत्रावली में बाड़ी द्वारा खेचवा की
बाद विद्वा करन का प्राथमिक पत्र
पेश किया गया, बाड़ी द्वारा कहा गया
कि हम बाड़ी तब प्रतिवादी में आपसी
समझौते हो गया है। तब आगे बाद
में कोई कार्यवाही नहीं चलाना है।
बाद विद्वा करन चाहता है। बाड़ी का
बाद विद्वा प्राथमिक पत्र स्वीकार
किया जाता है। बाद निवृत्ति खुले
आपा लप में सुनाया गया।
पत्रावली में सुनाया हुआ
नम्बर में कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

क्रि. नं.

